Jai Maa Saraswati Gyandayini
An International Multidisciplinary-Journal
ISSN: 2454-8367 Journal home page: www.jmsjournals.in
Vol. 07, Issue-II, Oct. 2021, Old UGC-Approved No. 43919

बच्चों के विरूद्व विभिन्न अपराधः एक सामाजिक–विधिक अध्ययन
(Various Crimes Against Children: A Socio-Legal Study)

नितिन माधवानी [a,*]

[a] *शोधार्थी (विधि), केरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा, (राजस्थान)।*

KEYWORDS

समाजिक शोषण, बाल्यावस्था, दुर्व्यवहार, अमानवीयता, बाल मजदूरी, अपराध, लैंगिक शोषण, अपरहरण, व्यपहरण।

ABSTRACT

भारत में बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है क्योकि बच्चे मन के सच्चे होते है। आज के बच्चे कल के युवा बनेंगे और इन्हीं में से कल कोई डॉक्टर बनेगा कोई राष्ट्रपति बनेगा कोई प्रधानमंत्री बनेगा और कोई शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देगें। जिस प्रकार बच्चों का लालन–पालन और परवरिश होगी वैसा ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और उसी के अनुरूप वे राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं जिस देश के बच्चों की परवरिश उन्नत प्रकार की होगी उस देश का विकास व राष्ट्र निर्माण भी उतना ही उन्नत ओर बिकसित होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। यदि समाज में बच्चों के साथ अपराध व आपराधिक घटनाये बढ़ जाये तो बच्चे डाक्टर, इन्जीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने के बजाय ये अपराधी बन जाते है। इसका प्रमुख कारण है कि जब बच्चों के साथ अपराध घटित होता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन होने से उनमें कुंठा हीन भावना एवं उनमें आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न हो जाती है। जिसका असर उनकी बौद्विकता एवं कुशलता पर पड़ता है। इस शोधपत्र के माध्यम से समाज में बच्चों के प्रति होने वाले विभिन्न प्रकारों के अपराधों का अध्ययन कर उनके समाधान खोजने की कोशिश की गई है।

भूमिका

वर्तमान में देखा जाये तो अपराधों की स्थिति बड़ी भयानक होती जा रही है, क्योंकि जैसे–जैसे हम विकास की ओर उन्मुख होते जा रहे है। वैसे–वैसे अपराधों के भी नये–नये श्रोत निकलकर सामने आते है। अपराधियों के भी अपराध करने के तरीकों में लगातार बदलाव आता जा रहा है। जिससे पता चलता हैं कि नव–निहाल असानी से शिकार हो जाते है। बच्चों का आसानी से शिकार हो जाना भी अपने आप में एक बड़ा कारण है जिसको हम अशिक्षा कह सकते है और अपरिपक्वता भी कह सकते है।

लीगल एजूकेशन का स्तर आमजन के लिए तो अभी भी न के बराबर ही है। हॉलाकि विधिक–शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा कई प्रकार के कोर्स संचालित किये जाते है, जैसे कि एलएल.बी, बी.ए.एलएल.बी, बी. कॉम.एलएल.बी, बी.बी.ए.एलएल.बी इत्यादि। उर्पयुक्त उपाधियों को हासिल कर लोग बकील एवं जज तो बन जाते है। लेकिन आम जन तक प्रत्येक गॉव स्तर पर आज भी विधिक जागरूकता 100 प्रतिशत नही है। क्योकि ऐसा कहा जाता है कि भारत माता निवास आज भी गॉव में करती है। विधिक जागरूकता की कमी की बजह से कई बार तो अपराधियों को भी पता नही होता है कि उन्होने कोई अपराध किया है। कभी– कभी तो किसी के बहकाबे में आकर भी किशोरों द्वारा बच्चों के प्रति अपराध कारित कर दिये जाते है। ऐसा नही है कि बच्चों के प्रति केवल अपराध किशोरों के द्वारा ही किये जाते है। वल्कि वयस्क व उम्र दराज लोगों के द्वारा भी कई प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया जाता है।

आज समाज की भागदौड़ भरी जिन्दगी में जीवन जीने के लिए अधिक से अधिक पैसे कमाने की जरूरत एक मजबूरी बन गई है। महॅगाई और गरीबी के कारण परिबार के लोगों के द्वारा बच्चों को कम उम्र में ही मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता है। कई बच्चे तो खतरनाक कार्यों में लग जाते हैं जिसकी बजह से कई बार र्दुघटनायें भी हो जाती है। जैसे बीड़ी निर्माण उद्योगों कानों में क्रेशर उद्योगों में पटाखा उद्योगों में पत्थर चिराई उद्योगों में आदि जिनमें काम करके इनका बचपन तो नष्ट हो ही रहा है। साथ ही इनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है। कम उम्र में काम करने के कारण इनको शिक्षा भी नहीं मिल पाती है जो समय स्कूल और कालेज में पढ़ाई करने का है उस समय में ये लोग काम करने वाली जगहों पर मजदूरी कर रहे होते है। जिसके कारण इनका शैक्षणिक व बौद्विक विकास भी नहीं हो पाता है। और यह शिक्षा के अधिकार से वंचित रहते हैं। इन खतरनाक उद्योगों में काम करने के कारण इनको कई घातक बीमारियों के होने का भी अंदेशा रहता है। भारत में कई ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु टी.बी. के कारण होती है जिनके फेफड़े बचपन में पत्थर उद्योगों एवं विनिर्माण उद्योगों में काम करने से हुई है। बच्चों को अपने काम के स्थानों पर शोषण का भी सामना करना पड़ता है जिसमें शारीरिक एवं लैंगिक दोनों भी हो सकते है।[1] इनके साथ मानसिक दुर्व्यवहार किया जाता है। इनके काम करने के घंटे निर्धारित नहीं होते हैं। यदि होते भी हैं तो कार्य करने के नियत घंटों से अधिक इनसे कार्य कराया जाता है। श्रम अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उद्योगों में खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए।[2] कानून द्वारा कई बन्धन लगाये जाने के बाबजूद भी कई उद्योगों में कम उम्र के बच्चे काम करते हुए मिल जाते हैं। और इन बच्चों को नियुक्त करने वाले उद्याोग पति आसानी से बच जाते है। इस तरह बालकों का शोषण किया जाता था और आज भी किया जा रहा है।

बच्चों के विरूद्व अपराधों के प्रकार

कई पुस्तकों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि बच्चों के विरूद्व अपराधों को कई प्रकार से अंजाम दिया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख है[3]–

- पारिवारिक कारण
- व्यक्तिगत कारण
- मनोवैज्ञानिक कारण
- सामुदायिक कारण
- वैयक्तिक बाल अपराध
- समूहिक बाल अपराध
- संगठित बाल अपराध
- स्थितिजन्य अपराध

बच्चों के विरूद्व अपराधों के कारण

बच्चों के विरूद्व अपराधों से सम्बन्धित कई प्रकार शोध हो चुके है, लेकिन आज भी कोई ठोस कारण नही मिल पाया जो मात्र बच्चों के विरूद्व होने बाले आपराधों का प्रमुख कारण हो। लेकिन ये जरूर कह सकते है कि बच्चों के विरूद्व अपराध अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग प्रकार के अपराध देखने को मिलते है। जिनमें से कुछ प्रमुख है–

- भौतिक वंशानुक्रमण

*** Corresponding author**

E-mail: nitinmadhwani@rediffmail.com (नितिन माधवानी). https://orcid.org/0000-0001-5358-6293

DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v7n2.08

Received 15th Oct. 2021; Accepted 25th Oct. 2021; Available online 30th October 2021

2454-8367 /© 2021 The Authors. Published by Jai Maa Saraswati Gyandayini e-Journal (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

- अपराधी भाई–बहन
- माता–पिता द्वारा तिरस्कार
- आर्थिक स्थिति
- परिवार की सदस्य संख्या
- कमजोर मानसिक स्तर
- भावात्मक अस्थिरता और मानसिक संघर्ष
- पड़ोस का वातावरण
- स्कूल का वातावरण
- अश्लील साहित्य

बच्चों के विरूद्व अपराधों से सम्बन्ध में कानूनी दृष्टिकोण

भारत में बच्चों के विरूद्व होने बाले अपराधों को रोकने के लिए एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण किया गया है। जिनमें से प्रमुख हैः

- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012,
- बालक श्रम (प्रतिषेध विनियमन) अधिनियम, 1986,
- किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (संशोधित) 2000,
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
- शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल एवं शिशु खाद्य (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992
- शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल एवं शिशु खाद्य (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003

भारतीय संसद द्वारा अधिनियम बनाकर बच्चों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की है। लेकिन प्रश्न ये है कि उर्पयुक्त अधिनियमों का कार्यान्यवयन कैसे किया जाये। कानूनों को जमीनी स्तर पर कार्यान्बित करने के लिए एवं बच्चों के विरूद्व होने बाले अपराधों से बच्चों को संरक्षण दिलाने के लिए कुछ वैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। जो कि निम्नलिखित है–

- बाल कल्याण समितियों,
- किशोर न्याय बोर्ड,
- फैमिली कोर्ट,
- बाल गृह,
- राष्ट्रीय और राज्य आयोग
- राज्य किशोर पुलिस इकाइयॉ

उर्पयुक्त सस्थाओं के माध्यम से बच्चों के विरूद्व होने बाले अपराधों को रोकने के लिए उचित कार्यवाहियॉ की जाती है एवं उचित कदम उठाये जाते है। जिससे कुछ हद तक बच्चों के विरूद्व होने बाले अपराधों को रोकने में सहायता मिलती है लेकिन पूर्ण रूप से आज भी समस्या का समाधान नही हो पाया है।

बच्चों के विरूद्व अपराधों की वर्तमान स्थिति

वर्ष 2020 के दौरान जब कोरोना माहमारी चल रही थी उस समय सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लोगो को सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही से भी रोक दिया गया था। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्तियों की रोजमर्रा के कार्यो से वयस्थता कम हो गयी तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ऑनलाइन अपराधों को अंजाम दिया जाने लगा। क्योकि लॉकडाउन में आवाजाही पर रोक लगी हुई थी। जिस कारण से अपराधियों का भी बहार निकलना मुश्किल था तो उन अपराधियों ने व कुछ आसमाजिक तत्वों ने अपराधों को ऑनलाइन के माध्यम से करना प्रारम्भ कर दिया जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के समय बच्चों के विरूद्व होने वाले अपराधों में लगभग 350 अपराध प्रतिदिन रजिस्टर किये गये।[4]

यदि पिछले कुछ वर्षो के ऑकड़ों का अवलोकन किया जाये तो पायेगे कि वर्ष 2019 के मुकाबले 2020 में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में रोजाना बच्चों के खिलाफ लगभग 400 से अधिक आपराधिक घटनाएं दर्ज हुई है।[5] एवं बच्चों के खिलाफ अपराध में केवल पांच राज्यों में ही करीब आधी (49.3 प्रतिशत) घटनाएं हुईं। जैसे कि मध्यप्रदेश में 13.2 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 11.8 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 11.1 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 7.9 प्रतिशत और बिहार में 5.1 प्रतिशत हैं। 2019 की तुलना में शीर्ष पांच राज्यों में पश्चिम बंगाल ने दिल्ली का स्थान लिया है। यहां ऐसे मामले 63 फीसदी बढ़े हैं।[6] कुछ अन्य अपराधों की दशा में स्थिति निम्न प्रकार है–

- **बच्चों के विरूद्व लैंगिक अपराधों की स्थिति**

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पारित होने के बाबजूद भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में छः वर्ष से कम उम्र के बच्चो के विरूद्व भी लैगिग अपराधों को अंजाम दिया गया, जिनमें कुल 640 अपराध दर्ज किये गये। यदि पुरूष बच्चों की स्थिति का अवलोकन करते है तो 18 अपराध दर्ज किये गये और यदि स्त्री बच्चों की स्थिति का अवलोकन किया जाये तो 622 अपराध दर्ज किये गये।[7] और यदि 06 से 12 वर्ष तक के उम्र के बच्चो के विरूद्व लैगिग अपराधों के सम्बन्ध में एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों अध्ययन करने पर पाया गया कि कुल 2540 अपराध दर्ज किये गये, यदि पुरूष बच्चों की स्थिति का अवलोकन करते है तो 145 अपराध दर्ज किये गये और यदि स्त्री बच्चों की स्थिति का अवलोकन किया जाये तो 2395 अपराध दर्ज किये गये।[8] और यदि 16 से 18 वर्ष तक के उम्र के बच्चो के विरूद्व लैगिग अपराधों के सम्बन्ध में एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों अध्ययन करने पर पाया गया कि कुल 14118 अपराध दर्ज किये गये, यदि पुरूष बच्चों की स्थिति का अवलोकन करते है तो 26 अपराध दर्ज किये गये और यदि स्त्री बच्चों की स्थिति का अवलोकन किया जाये तो 14092 अपराध दर्ज किये गये।[9]

- **बच्चों की मृत्यु कारित करने की स्थिति**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में बच्चों मृत्यु कारित करने के जुर्म में 145 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 10 महिलायें एवं 135 पुरूष शामिल है।[10] वही 129 लोगों के विरूद्व चार्जसीट दाखिल की गई।[11]

- **बच्चो के विरूद्व व्यपहरण एवं अपहरण के मामले**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में बच्चो के विरूद्व व्यपहरण एवं अपहरण के मामले में 1726 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 81 महिलायें एवं 1645 पुरूष शामिल है।[12] वही 1286 लोगों के विरूद्व चार्जसीट दाखिल की गई।[13]

- **बच्चो के विरूद्व बलात्कार के मामले**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में बच्चो के विरूद्व बलात्कार के मामले में 123 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।[14] वही 116 लोगों के विरूद्व चार्जसीट दाखिल की गई।[15]

- **भीख मगवाने के उददेश्य से बच्चो का व्यपहरण एवं अपहरण के मामले**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में भीख मगवाने के उददेश्य से बच्चो का व्यपहरण एवं अपहरण के मामले में 09 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 01 महिला एवं 08 पुरूष शामिल है।[16] वही 03 लोगों के विरूद्व चार्जसीट दाखिल की गई।[17]

- **बालक श्रम (प्रतिषेध विनियमन) अधिनियम, 1986 से सम्बन्धित अपराध**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में बालक श्रम (प्रतिषेध विनियमन) अधिनियम, 1986 से सम्बन्धित अपराधों के विषय में 74 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 03 महिलायें एवं 71 पुरूष शामिल है।[18] वही 78 लोगों के विरूद्व चार्जसीट दाखिल की गई।[19]

- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अपराध**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अपराधों के विषय में 55 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 19 महिलायें एवं 36 पुरूष शामिल है।[20] वही 50 लोगों के विरूद्व चार्जसीट दाखिल की गई।[21]

- **किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (संशोधित) 2000, से सम्बन्धित अपराध**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (संशोधित) 2000 से सम्बन्धित अपराधों के विषय में 500 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 73 महिलायें एवं 427 पुरूष शामिल है।[22] वही 330 लोगों के विरूद्व चार्जसीट दाखिल की गई।[23]

निष्कर्ष

उर्पयुक्त विवेचन के अनुसार प्रत्यक्ष है कि मानव सभ्यता ने जितना तकनीकी विकास किया है उसी अनुपात में अपराधों के संख्या में भी वृद्वि की है। हालॉकि अपराधों को रोकने के संसाधनों में भी विकास किया है। फिर भी उर्पयुक्त वर्णित

ऑकड़ो के अनुसार अपराधों की संख्या में विगत वर्षों की अपेक्षा कमी तो आयी है। लेकिन पूरी तरह से रोकने में असफल रहे है। वही सरकारों व जनता की मॉग पर अनेक प्रकार के कानूनों का निर्माण भी किया गया है। लेकिन उनके कार्यान्वयन में 100 प्रतिशत ऑकड़े के लक्ष्य को नही पा सके है।

बच्चों के विरूद्व अपराधों को रोकने के उपाय

बच्चों के विरूद्व होने बाले अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए–

1. लीगल एजूकेशन के अधिक से अधिक केन्द्र प्रत्येक गॉव, कस्बे, शहरों में खोलने चाहिये।
2. प्रत्येक कालेज के पास लीगल एजूकेशन से सम्बन्धित और पैरा लीगल से सम्बन्धित केन्द्र खोले जाने चाहिये चाहे वो महाविद्यालय किसी भी विषय से समबन्धित क्यों न हो।
3. कानूनों के निर्माण के साथ साथ उनकों लागू करने के उपायों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये।
4. कानूनों को लागू करने वाली संस्थाओं से वार्षिक रिर्पोट की बजाय मासिक व साप्ताहिक रिर्पोट पेश करने के लिए नियम बनाना चाहियें। यदि वह संस्थायें मासिक व साप्ताहिक रिपोर्ट में प्रोगरेस न दिखे तो अतिसीघ्र कदम उठाने चाहिये।
5. बच्चों को अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहियें।
6. स्कूली शिक्षा में अपराधों से सम्बन्धित एक बिषय होना चाहिये जिससे अपराधों से बच्चे कैसे बचें व अपराधों से सम्बन्धित दण्डो बारें में पढ़ाया जाना चाहियें।

सन्दर्भ सूची–

[1] बच्चों के खिलाफ हिंसा पर रोकः अवलोकन दिनॉकः 25 सितम्बर 2021: https://www.unicef.org/india/hi/node/311
[2] बालश्रमः अवलोकन दिनॉकः 25 सितम्बर 2021, https://hi.vikaspedia.in/education/child-rights/child-labour
[3] किशोर अपराधः अवलोकन दिनॉक 25 सितम्बर 2021: https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%B0_%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A7
[4] यशपालः 01 अक्टूबर 2021: बच्चों के खिलाफ अपराधः 2020 में हर रोज दर्ज किए गए 350 से अधिक मामले, 400 फीसदी बढ़ीं ऑनलाइन शोषण की घटनाएंः अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबर 2021: https://www.punjabkesari.in/national/news/crimes-against-children-more-than-350-cases-registered-every-day-in-2020-1466686
[5] NCRB: : अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः https://ncrb.gov.in/sites/default/files/crime_in_india_table_additional_table_chapter_reports/TABLE%204A.1.pdf
[6] गौरव पाण्डेयः बच्चों के खिलाफ अपराधः 2020 में हर रोज दर्ज किए गए 350 से अधिक मामले, 400 फीसदी बढ़ीं ऑनलाइन शोषण की घटनाएंः अमर उजाला, नई दिल्ली, अपडेटेड 01 अक्टूबर 2021, अवलोकन दिनॉक 10 अक्टूबर 2021, https://www.amarujala.com/india-news/india-recorded-over-350-crimes-against-children-each-day-in-2020-ncrb-data-analysis-in-hindi
[7] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः https://ncrb.gov.in/sites/default/files/crime_in_india_table_additional_table_chapter_reports/TABLE%204A.9.pdf
[8] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[9] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[10] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः https://ncrb.gov.in/sites/default/files/crime_in_india_table_additional_table_chapter_reports/TABLE%204B.7.pdf
[11] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[12] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[13] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[14] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[15] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[16] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[17] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[18] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[19] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[20] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[21] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[22] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.
[23] NCRB: अवलोकन दिनॉकः 10 अक्टूबरः Ibid.

****